प्रकरण सं0 .... अनवान ....बनाम ....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर

Continuation Note Sheet

26.8.25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
प्रार्थना पत्र 251 A RTA पेश किया गया।
निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आदेशित प्रार्थना [illegible]
किया गया। पत्रावली कार्यवाही से फारिग होकर
बाद तकमील जाब्ता दाखिल अभिलेखागार हो।

Gautam

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व प्रार्थना पत्र :— 20/2025
अनवान जसराम बनाम अणची वगैरह

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :— राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 20/2025

जसराम पुत्र श्री बुध राम जाति नायक, आयु 48 वर्ष निवासी रेणूकां तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

— — प्रार्थी

—:: बनाम ::—

1. अणची पत्नी हरी राम जाति बावरी— (मृतक)

1/1— दलीप पुत्र श्री हरी राम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 11, ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1/2 — राजू बाई पुत्री श्री हरी राम जाति बावरी निवासी 1 एच बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1/3 — रामचन्द्र पुत्र श्री हरी राम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 11, ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

1/4 — लक्ष्मण पुत्र श्री हरी राम जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 11, ओडकी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) ।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री राजकुमार नागपाल — प्रार्थी
2. पैरोकार राज — अप्रार्थी संख्या 2
3. अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 26.08.2025

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी वाके गांव रेणूकां तहसील व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी के नाम से वाके चक 8 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072 – 2075 के खाता संख्या 27/21 के मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक में 0.2530 हैक्टेयर कुल 3.796 [illegible] बारानी कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थी [illegible] का[illegible] करता है। अप्रार्थीगण संख्या 1/1 ता 1/4 के नाम से वाके चक 8 डी बड़ी त[illegible] व जिला श्रीगंगानगर मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 के खाता संख्या [illegible]07 के मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 4 में 0.253 है0, किला नं. 5/1 में 0.10[illegible]0, किला नं. 6 में 0.190

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है0, किला नं. 7 में 0. 253 है0, किला नं. 14 में 0.253 है0, किला नं. 17 में 0.253 है0, किला नं. 24 में 0.253 है0, किला नं. 25 में 0.177 है0 कुल 1.733 हैक्टयर बारानी कृषि भूमि गैर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी के उक्त रकबा में आने जाने के लिए कोई स्वीकृतशुद्धा रास्ता नहीं है, परन्तु प्रार्थी अर्सा दराज से, जब से गांव बसा है, गांव से पक्की डामरशुदा रोड़ से मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 24 व 25 में से 8–1/4 फुट रास्ता से गुजर रहा है, मगर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत नहीं है और अप्रार्थीगण इस रास्ते से निकलने में अड़चन पैदा करते है और रास्ता को बन्द करने की धमकी दे रहे है। प्रार्थी दिनांक 05–02–2025 को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने के लिए और इसके बदले में डी एल सी की दर की दोगुनी रकम देने के लिए कहां तो अप्रार्थीगण ने कहां कि हम चालू रास्ता को बन्द करेगें, यदि कारण उक्त प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने का है। नकल जमाबन्दी व आंशिक नक्शा संलग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थी को अपने रकबा में आने–जाने के लिए मुरब्बा नम्बर 31 के किला नम्बर 24 व 25 के सिवाय अन्य कोई रास्ता नहीं है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नहीं है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना है कि प्रार्थी को उसके रकबा चक 8 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 27/21 के मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक में 0.253 हैक्टयर कुल 3. 795 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए चक 8 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 120/107 के मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 24 व 25 प्रत्येक में 12–12 फीट रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाकर, राजस्व रिकार्ड में बतौर रास्ता अंकन किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 की विधिवत तामील होने एवं अप्रार्थीगण के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण अप्रार्थी संख्या 1/1 ता 1/4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई।

– :: आदेश ::–

वकील प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा बहस में कथन किए गये कि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते का अभाव है। अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने जाने बाबत रास्ता स्वीकृत किया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के [illegible] हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" [illegible] विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने [illegible] है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत [illegible] न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible]स्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

1955 की धारा 251ए के अन्तर्गत प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि आने जाने हेतु चक 8 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 27/21 के मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 प्रत्येक में 0.253 हैक्टयर कुल 3.795 हैक्टेयर बारानी कृषि भूमि में आने–जाने के लिए चक 8 डी बडी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 120/107 के मुरब्बा नम्बर 31 का किला नम्बर 24 व 25 प्रत्येक में 12–12 फीट रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया है।

तहसीलदार श्रीगंगानगर रास्ते के मुआवजा स्वरूप प्रार्थी द्वारा डी.एल.सी. का दुगुनी राशि जमा करवाये जाने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में रास्ते का अंकन करना सुनिश्चित करें एवम् प्रार्थी द्वारा जमा करवाई गई डी.एल.सी. की दुगनी राशि सम्बन्धित पक्ष को अपने स्तर पर वितरित करे।

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, की उक्तानुसार रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिंनाक 26.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम) आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
पदेन सहायक कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.09.29 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner